


न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर दौसा

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>क्र.नं. 23/2014 प्राचीन पत्र 14(4) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उपनाम - सियागम बनाम पप्पू व अन्य</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए</p>
<p>24-1-24</p>	<p>अधिवक्ता प्राचीन उपस्थित। अधिवक्ता प्राचीन द्वारा प्राचीन पत्र प्रकरण विद्वा करने व प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाखे वाक्य पेश कर निवेदन दिया गया कि प्रकरण में पक्षकारों ने आपस में शर्तीनामा कर लिया है; इस विषये प्राचीन विचारणीय प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अधिवक्ता प्राचीन द्वारा Not press कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया गया।</p> <p>पत्रावली का इन्फोर्मेशन किया गया एवं अधिवक्ता प्राचीन द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र एवं अधिवक्ता प्राचीन के कथन पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्राचीन द्वारा Not press करे पर प्राचीन सियागम पत्र हरबक्स जाति ब्राह्मण निवासी मेहलूनी तहसील बसवा शाय भूमि आवंटन आदेश दिनांक 11-7-1968 ग्राम मेहलूनी तहसील बसवा बहक गंगाधर पुत्र काना पिता रेस्पोन्स नं। 82 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत प्राचीन पत्र 14(4) अंतर्गत आवंटन नियम खारिज किया जा रहा। पत्रावली फेसल सुनार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति उक्ति लखनऊर की जाके निवेदन दाय दिनांक 24-1-2024 के मार इस मुद्दे न्यायालय में सुनाया गया।</p>	<p>नरेश बुन्कर 24/1/24</p>



नरेश बुन्कर
अति. जिला कलक्टर
दौसा (राज.)

24/1/24

